146 3

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा(म0प्र0)

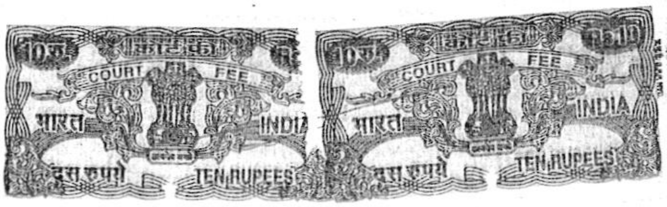

Rs. 201

292 1.8.15

निग 1 2949/II/15

1. जगजीवन तनय दुलारे नामदेव उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम डगा थावा बरगवां तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0),
2. शिवकुमार नामदेव तनय स्व0 मुन्नीलाल नामदेव उम्र 54 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कनई तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0)..................

....**आवेदक / अपीलार्थीगण**

बनाम

1. रामभरत तनय रामनाथ दर्जी उम्र 56 वर्ष पेशा खेती,
2. रामभुवन तनय रामनाथ दर्जी उम्र 53 वर्ष पेशा खेती,
3. बबुआराम नामदेव तनय रामनाथ दर्जी उम्र 50 वर्ष पेशा खेती सभी निवासी ग्राम कनई तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0),
4. म0प्र0 शासन..**अनावेदक / उत्तरवादीगण**

श्री कुलेन्द्र पाण्डेय एड. के द्वारा आज दिनांक 01-8-15 प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्र0क्र0 534 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 के विरूद्ध द्वितीय अपील

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्न है :–

–: अपील के तथ्य :–

(क) यह कि अपीलार्थी क्र. 1 ग्राम डगा व अपीलार्थी क्र0 2 ग्राम कनई तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0) के मूल निवासी है व उत्तरवादी क्र0 1 ता 3 ग्राम कनई तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0) के निवासी है उत्तरवादी क्र. 1 ता 3 के पिता रामनाथ को ग्राम डगा तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0) में आ0ख0क्र0 2025 / 5 एवं 2026 / 1 में रकवा 1.011 हे0 एवं उत्तरवादी क्र. 1 को आ.ख.क्र. 2099 / 16 में रकवा 1.011 हे0 भूमि उत्तरवादी क्र. 1 ता 3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 2949—दो/16 निगरानी

जिला — सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्त
25-07-17	अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 534/20014—15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21—5—2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत आवेदकगण ने यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की है, किन्तु राजस्व मण्डल में मामला निगरानी के रूप में पॅजीबद्व किया गया है क्योंकि विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सिंगरोली के यहॉ मामला मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—4 की कंडिका 20 के अंतर्गत विचारित है। आवेदकगण के अभिभाषक ने पूर्व पेशी पर व्यक्त किया है कि अपील मेमो के तथ्यों के आधार पर मामला निराकृत किया जाय। 2/ अपील मेमो में वर्णित तथ्यों एंव अभिलेख के अवलोकन पर परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सिंगरोली के यहॉ मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—4 की कंडिका 20 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 9 अ—19 (4) /03—04 में पारित आदेश दिनांक 28—9—2004 से भूमि विनिमय पर विचार हुआ है, जिसके विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत हुई एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 534/20014—15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21—5—2015 से अपील प्रचलन—योग्य न होना मानकर निरस्त की है। जब विचारण न्यायालय में मूल मामला राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—4 की कंडिका 20 के अंतर्गत निराकृत है इस न्यायालय में	

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील भी अग्राह्य है।

3/ राजस्व मण्डल में मामला निगरानी में पॅजीबद्व होने से मामले के निराकरण पर राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—4 की कंडिका 30 के अंतर्गत विचार करने पर स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 16—2/2002/सात—2—ए दिनांक 14 मार्च 2002 से निर्देश दिये गये हैं कि भूमि से अदला—बदली करने वावत् कलेक्टर या कमिश्नर व्दारा दी गई अनुमति आदेश के विरूद्व कोई भी हितबद्व पक्षकार कमशः कमिश्नर या राज्य शासन के समक्ष ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा। फलतः विचाराधीन अपील/निगरानी सुनवाई योग्य एंव प्रचलन—योग्य न पाये जाने से निरस्त की जाती है।

सदस्य